न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 26/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1–हनुमान पुत्र भगवानाराम 2–भूराराम पुत्र मगनाराम 3–उम्मेदाराम पुत्र मगनाराम 4–बाबूराम पुत्र मगनाराम जातियान माली निवासीगण शिव तहसील शिव जिला बाडमेर		1– सांगाराम पुत्र दमाराम 2– मिसरोदेवी पत्नी दमाराम जातियान माली निवासीगण शिव तहसील शिव जिला बाडमेर **औपचारिक पक्षकार** 3– जगमालराम पुत्र पोलाराम 4– खुशालाराम पुत्र गजाराम 5– दीपाराम पुत्र चिमाराम 6– देवीलाल पुत्र जगमालाराम जातियान माली निवासीगण शिव तहसील शिव जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 09–12–2017 जो उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 247/2017 अनवान सांगाराम बनाम जगमालराम वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री वी.एल.एस.राजपुरोहित अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री एम.एल.खत्री अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से ।
3– शेष रेस्पो0 की ओर से कोई उपस्थित नही ।

निर्णय

दिनांक 16 –8–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर खसरा नंबर 180 रकबा 20.02 बीघा भूमि मौजा शिव की नेखमबंदी करवाने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9–12–2017 के द्वारा ग्राम शिव के खसरा नंबर 180 रकबा 20.02 बीघा भूमि के चारो ओर पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक शिव को कमिश्नर नियुक्त कर आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आदेशित किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 9–12–2017 के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे मुख्य रूप से यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित

करने से पूर्व अपीलाधीन भूमि के सेडा पडोसियो पक्षकारान के समुचित नोटिस तामिल कराये बिना तथा उनको सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन भूमि की नेखमबंदी का आदेश पुलिस इमदाद के साथ करने बाबत पारित कर दिया, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि आदेशिका दिनांक 8–12–17 मे विप्रार्थी की तामिल इंतजार मे पत्रावली आयंदा दिनांक 29–12–2017 को निर्धारित की थी परंतु इससे पूर्व ही पत्रावली को केम्प राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प मे दिनांक 9–12–2017 को रखते हुए एकतरफा अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जबकि पत्रावली को केम्प मे रखने की कोई सूचना या आदेशिका अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड पर उपलब्ध नही है अथार्त अपीलाधीन निर्णय अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के विरूद्ध इस न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर इस अपील मे दिनांक 9–2–2018 को अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया गया था । वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के बंटवाडे के संबंध मे एक वाद संख्या 56/95 अनवान रामाराम बनाम मंगलाराम का उपखण्ड अधिकारी शिव के समक्ष पेश किया था जिसका निर्णय दिनांक 30–11–99 को हुआ तथा डिक्री पर्चा दिनांक 10–5–2000 को जारी किया गया जिसकी अपील अपीलांटगण ने राजस्व अपील अधिकारी बाडमेर के समक्ष पेश की जाने पर उक्त अपील मे दिनांक 11–12–2017 को स्थगन आदेश पारित किया गया जिसमे ग्राम शिव के खसरा नंबर 180 रकबा 20.02 बीघा के संबंध मे उभयपक्ष राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति का आदेश पारित किये हुए थे । राजस्व अपील अधिकारी बाडमेर के समक्ष प्रस्तुत अपील मे रेस्पो0 की ओर से एक शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र राजस्व अपील अधिकारी बाडमेर केम्प बालोतरा मे पेश किया गया जिसकी जानकारी अपीलांट को नही दी गई तथा जिसमे स्थगन नही बठाया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि रेस्पो0 ने जिस भूमि की नेखमबंदी करवाने का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया था उस भूमि बाबत अपील राजस्व अपील अधिकारी बाडमेर मे लंबित है ऐसे मे अपील के लंबित रहते अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, वह कानूनन सही नही है तथा अपीलांट के हितो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9–12–2017 को निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि हमने हमारे खातेदारी के खेत ग्राम शिव के खसरा नंबर 180 रकबा 20.02 बीघा भूमि की नेखमबंदी करवाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय मे आवेदन पेश किया था जिसमे वर्तमान अपीलांटगण तथा रेस्पो0 संख्या 3 से 6 को पक्षकार बनाया जाकर उनको नोटिस जारी करने पर बावजुद तामिल अनुपस्थित रहने पर अधीनस्थ न्यायालय ने वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के खातेदारी की भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करने बाबत जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो न्यायोचित है ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने कथन किया कि अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 180 रकबा 20.02 बीघा हमारे खातेदारी की भूमि है तथा उक्त भूमि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को अपीलाधीन भूमि के सह खातेदारो के मध्य बंटवाडे को लेकर प्रस्तुत किये गये वाद संख्या 56/95 के निर्णय दिनांक 30–11–99 के जरिये प्राप्त हुई थी उक्त वाद के निर्णय दिनांक 30–11–99 के विरूद्ध अपीलांटगण ने राजस्व अपील अधिकारी बाडमेर के समक्ष अपील पेश की जिसमे पहले एकतरफा स्थगन आदेश पारित कर दिया था जिसे न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बाडमेर केम्प बालोतरा मे दिनांक 1–2–2018 को उक्त प्रकरण मे पारित स्थगन आदेश को खारीज किया जा चुका है इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात तथा अपीलाधीन निर्णय आदि का भी अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अपने खातेदारी की भूमि ग्राम शिव के खसरा नंबर 180 रकबा 20.02 बीघा भूमि के खेत की सीमा ज्ञान कर पक्के नेखम स्थापित करवाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया जाने पर उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण वर्तमान अपीलांटगण एवं रेस्पो0 संख्या 3 से 6 को जरिये नोटिस तलब किया जाने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 8–11–2017 को दिया गया तथा आगामी पेशी दिनांक 8–12–17 मुकर्रर की गई तथा आदेशिका दिनांक 8–12–17 अनुसार पत्रावली विप्रार्थी संख्या 1 से 4 बावजुद तामिल के अनुपस्थित का उल्लेख करते हुए आगामी पेशी दिनांक 29–12–2017 को रखी गई

परंतु निर्धारित तारीख पेशी से पूर्व ही दिनांक 9–12–2017 को ही पत्रावली को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प मे रखते हुए विप्रार्थी संख्या 1 से 8 (वर्तमान अपील के अपीलांटगण एवं रेस्पो0 संख्या 3 से 6) को बावजुद तामिल के अनुपस्थित बताते हुए एक तरफा आदेश पारित कर दिया गया । जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे पत्रावली को केम्प कोर्ट दिनांक 9–12–2017 को रखने बाबत कोई आदेशिका या उक्त तिथी के केम्प के नोटिस जारी नही होना पाया जाता है जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित कर दिया, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से समर्थन योग्य नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही होगा ।

परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9–12–2017 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाधीन भूमि ग्राम शिव के खसरा नंबर 180 रकबा 20.02 बीघा भूमि के पडौसी एवं हितबद्ध समस्त खातेदारो मय अपीलांटगण को नोटिस जारी कर, उनके नोटिस तामिल करवाकर, उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के बाद, यदि पक्षकारान की बीच अपीलाधीन भूमि के संबंध मे कोई अपील एवं निगरानी आदि पेण्डिंग हो तो उसमे पारित आदेशो के मध्यनजर पुनः रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी के प्रार्थना पत्र पर विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 16–8–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(मानाराम पटेल)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर